झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, तृतीय तल, नेपाल हाउस कैम्पस, डोरण्डा, रांची–834002

संकल्प

विषयः– W.P.(S) No.-5184/2013, अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा दिनांक–20.01.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय तार्किक आदेश संख्या–741, दिनांक–06.04.2016 में पारित आदेशों के सन्दर्भ में श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को UGC की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500–9000 में 8300 रु० के प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने के संबंध में।

---

1. W.P.(S) No.-5184/2013, अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा दिनांक–20.01.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1194, दिनांक–31.10.2019 द्वारा कुल चार आवेदक सर्व श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को Demonstrator पदनामित करते हुए सेवा में योगदान की तिथि से Demonstrator के लिए स्वीकृत UGC वेतनमान 1740–3000 की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि उसका वास्तविक लाभ झारखण्ड राज्य के गठन यथा दिनांक–15.11.2000 से देय होगा।

2. UGC के पत्र सं० F–3–2/99 (PS), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में उल्लेखित है कि वैसे प्रदर्शकों जो पुनरीक्षित वेतनमान 5500–9000 में 8300 रु० प्रक्रम पर पहुँच चुके है या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है, साथ ही उनके पदनाम एवं कर्तव्य में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. विभागीय संकल्प के आलोक में आवेदक श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत प्रदर्शक, राजकीय पोलिटेकनिक, रांची द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में पुनः नए सिरे से एक याचिका WP(S) No.-6629/2019 दायर किया गया, जिसमे UGC के पत्र सं० F–3–2/99 (PS), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में उल्लेखित प्रदर्शकों, जो पुनरीक्षित वेतनमान 5500–9000 में 8300 रु० प्रक्रम पर पहुँच चुके है या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके है, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति से संबंधित है।
इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा C.W.J.C. No.-6269/2015 में पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा याचिकाकर्ताओं के सन्दर्भ में निर्णय लेने का निदेश दिया है।

4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–758, दिनांक–26.02.2020 के द्वारा UGC के पत्र सं० F–3–2/99 (PS), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 के अनुसार माह जून/जुलाई, 2005 से आवेदकों को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने की तिथि से इन्हें 8000–13500 का वेतनमान की स्वीकृति दी गयी है।

5. अतः माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा WP(S) No.-6629/2019 में दिनांक–04.11.2020 को पारित न्यायादेश तथा विभागीय संकल्प संख्या–1194, दिनांक–31.10.2019 के आलोक में श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रदर्शकों को UGC के पत्र सं० F–3–2/99 (PS), दिनांक–21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान/अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500–9000 में 8300 रु० प्रक्रम पर पहुँच गये या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान रु० 8000–13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उक्त 04 (चार) प्रदर्शकों के पदनाम एवं कर्तव्य में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा दिए गये परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–1194, दिनांक–31.10.2019 से संबंधित प्रदर्शकों यथा श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेन्द्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह के संबंध में लिए गये निर्णय तक ही सीमित रखते हुए इन प्रदर्शको को वास्तविक लाभ दिनांक–15.11.2000 की तिथि से देय होगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–19.01.2022 की बैठक के मद संख्या–01 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०/स्था०–507/2001 (अंश/पार्ट)– / रांची, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस) झारखण्ड, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०/स्था०–507/2001 (अंश/पार्ट)– / रांची, दिनांक–

प्रतिलिपिः–जिला कोषागार पदाधिकारी, रांची/धनबाद/सरायकेला–खरसावां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– वि०प्रा०/स्था०–507/2001 (अंश/पार्ट)– /रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, रांची/धनबाद/आदित्यपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– वि०प्रा०/स्था०–507/2001 (अंश/पार्ट)– 139 /रॉची, दिनांक :– 03.02.2022

प्रतिलिपिः–संबंधित सरकारी अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधि शाखा, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/श्री अर्जुन कुमार, Demonstrator, राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/श्री ब्रजेश कुमार सिंह, सेवानिवृत Demonstrator, राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद/श्री सुरेन्द्र भगत, Demonstrator, राजकीय पोलिटेकनिक, रांची/श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत Demonstrator, राजकीय पोलिटेकनिक, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2022
सरकार के विशेष सचिव